नवभारत टाइम्स नई दिल्ली 18/01/12

स्कूल फीस की समीक्षा के लिए जस्टिस अनिल देव सिंह समिति

सी–ब्लॉक, विकास भवन–II, अपर बेला रोड, सिविल लाइन्स, दिल्ली–110054

सार्वजनिक सूचना

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपनी रिट याचिका सं. 2009 की 7777 तथा अन्य संबंधित मामलों में दिनांक 12.08.2011 के अपने आदेश द्वारा एक समिति का गठन किया है जिसमें **जस्टिस अनिल देव सिंह**, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय, सीए जे एस कोचर तथा डॉ. आर के शर्मा, **अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (सेवानिवृत्त)** शामिल हैं। इस समिति का उद्देश्य छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के आधार पर प्रत्येक गैर–सहायता प्राप्त निजी स्कूल द्वारा अपेक्षित फीस में बढ़ोत्तरी की मात्रा का निर्धारण करना है। इस प्रश्न पर विचार करते हुए समिति द्वारा स्कूलों के रिकार्ड, उनके खाते, उनके पास उपलब्ध धनराशि की जांच की जानी है और साथ ही मॉडर्न स्कूल बनाम भारत संघ तथा अन्य, (2004) 5 एससीसी 583 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का भी ध्यान रखना है।

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समिति ने ऊपर दिए गए पते पर दिनांक 26.12.2011 से अपना काम करना शुरू कर दिया है।

इस संबंध में सभी सहयोगी अर्थात संबंधित स्कूल, अध्यापक, छात्र, छात्रों के अभिभावक जो इस मामले में व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से अथवा किसी अन्य साधन के जरिये अपना लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के अथवा अलग–अलग स्कूलों द्वारा बढ़ाई जाने वाली फीस की मात्रा के संबंध में समिति द्वारा किसी प्रकार के निर्णय लेने में उन्हें अपना सहयोग देने के इच्छुक हों तो वे **इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर आमंत्रित हैं।** अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करते समय वे विशेष रूप से यह स्पष्ट करें कि क्या समिति में सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना चाहेंगे। अतः वे अपने संपर्क पते तथा टेलीफोन/सेलफोन नंबर का उल्लेख अवश्य करें। अभ्यावेदन समिति के कार्यालय में दस्ती प्रस्तुत किए जा सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से भेजे जा सकते हैं अथवा विधिवत हस्ताक्षर की हुई प्रतियां **feecommittee@gmail.com** ई–मेल द्वारा भेजी जा सकते हैं।

प्रथम द्रष्टया के रूप में समिति ने उपरिउल्लिखित मामलों में सभी रिट याचिकाकर्ताओं की सुनवाई करने का निर्णय लिया है। इनसे समिति द्वारा संपर्क किया जा रहा है। यदि समिति के पास इनके संपर्क का ब्यौरा न होने पर इनसे किसी प्रकार का संपर्क नहीं किया जाता है तो वे स्वयं समिति के सदस्य **सीए जे एस कोचर (सैल नं. 9810047401) अथवा डॉ. आर के शर्मा (सैल नं. 9910890650)** से संपर्क करें और उनसे मीटिंग की तारीख और समय फिक्स कर लें।

सू.प्र.नि./1410/2011-12

समिति के आदेश द्वारा जारी

The Times of India New Delhi 18/01/12

JUSTIC ANIL DEV SINGH COMMITTEE FOR REVIEW OF SCHOOL FEE

C-Block, Vikas Bhawan-II, Upper Bela Road, Civil Lines, Delhi-110054

PUBLIC NOTICE

Hon'ble Delhi High Court by its order dated 12.08.2011 in Writ Petition No. 7777 of 2009 and other connected matters has constituted a Committee comprising of Justice **Anil Dev Singh, former Chief Justice of Rajasthan High Court, CA J.S. Kochar and Dr. R.K. Sharma, Additional Director of Education (Retd.)** for determining the extent of increase in fee that was required by each unaided private school on the implementation of the Sixth Pay Commission's recommendations. While considering the question, the Committee is required to examine the records of schools, their accounts and funds available at their disposal and also keep in view the principles laid down by the Hon'ble Supreme Court in the case of Modern School Vs. Union of India and Others, (2004) 5 SCC 583.

Notice is hereby given that the aforesaid Committee has started functioning w.e.f. 26.12.2011 at the abovementioned address.

All the stakeholders in the matter i.e. the respective schools, teachers, students, parents of the students, who may be interested in making written representations in the matter, either individually or collectively, or providing any inputs or otherwise being desirous of assisting the Committee in arriving at a just and proper conclusion with regard to the extent of fee increased by the individual schools, are invited to do so **within three weeks of the publication of this notice.** While making the representation, they should specifically state whether they would like to be personally heard by the committee and should also mention their contact address and telephone/Cellphone numbers. The representations may be hand delivered in the office of the committee or sent by registered/speed post of duly signed scanned copies may be sent by email at **feecommittee@gmail.com**

In the first instance, the committee has decided to hear all the writ petitioners in the cases mentioned above. They are being contacted by the committee and in case, they do not get any communication from the committee on account of non availability of their contact details, they may themselves contact the committee members **CA J.S. Kochar (Cell no. 9810047401) or Dr. R.K. Sharma (Cell no. 9910890650)** to fix up the date and time of the meeting.

DIP/1410/2011-12

Issued by order of the Committee